संस्थापित १८६७ ई०

आर्य मित्र

साप्ताहिक

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र

एक प्रति ₹ २.००
वार्षिक शुल्क ₹ १००
(विदेश ५० डालर वार्षिक) आजीवन शुल्क ₹ १०००

● वर्ष : १२२ ● अंक : २६ ● २५ जुलाई २०१७ श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत् २०७४ ● दयानन्दाब्द १६३ वेद व मानव सृष्टि सम्वत् : १६६०८५३११८

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अन्तरंग सभा सवायजपुर, (हरदोई) की बैठक में डा० धीरज सिंह

शेष कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से प्रधान बनाये गये।

– डा० धीरज सिंह आर्य

आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० की अन्तरंग सभा की साधर बैठक सम्पन्न– २३ जुलाई रविवार को आर्य समाज शवामजपुर जि० हरदोई में डा० धीरज सिंह जी की अध्यक्षता में अन्तरंग बैठक सम्पन्न हुई जिसमें प्रदेश से भारी संख्या में आर्य कार्यकर्त्ता–सभा अधिकारी एवं अन्तरंग सदस्यों ने अपनी उपस्थिति से गरिमा बढ़ाई। सभा में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्री माघवेन्द्र प्रताप जी रहे। आपने सभी आगन्तुक अतिथियों का स्वागत किया तथा सभामन्त्री जी ने उन्हें गायत्री मन्त्र के पटके से स्वागत किया सभा प्रधान जी ने उन्हें महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का चित्र भेंट किया आपने अपने उद्बोधन में आर्य समाज की भरपूर प्रशंसा करते हुए बताया कि आर्यसमाज एक सर्वोच्च संगठन है पूरे भारत में इसकी कई हजार शाखायें हैं जो समाज सुधार शिक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पदा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है वेद ज्ञान की यदि आज कहीं कोई चर्चा करता है पढ़ता है तो मात्र आर्य समाज की भूमिका इसमें सर्वोपरि रहती है। आज मेरा ग्राम अपने पवित्र कर दिया मैं आप सभी आर्यों का सदैव आभारी रहूँगा।

सभा प्रधान डा० धीरज सिंह जी ने विधायक जी का धन्यवाद करते हुए बताया कि आर्य समाज ने अपने प्रारम्भिक काल से ही राष्ट्र को नई चेतना प्रदान की है उन्होंने बताया कि राष्ट्रचर्चा कोई नहीं करता था।

सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही चिन्तन चलता था लेकिन महर्षिदयानन्द जी ने संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य बताकर शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति द्वारा राष्ट्र में जागरुकता पैदा की, इसका परिणाम यह हुआ कि देश में क्रान्तिकारियों का एक विशेष संगठन बना और देश आजाद हो गया।

इसके मूल में आर्य समाज की भूमिका रही है। बैठक में सभा मन्त्री स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती ने बताया कि हमें आर्य समाज के विद्वान्– भजनोपदेशक का सम्मान प्रतिवर्ष को वरीयता क्रम में पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए १ करोड़ रुपये की "विद्वत्सम्मान कोष" के नाम से "स्थिरनिधि" बनाई जाये सर्व सम्मति से सर्मथन हुआ उसके लिए ५१

शेष पृष्ठ २ पर

अन्तरंग सभा को सम्बोधित करते हुए सभा प्रधान डॉ० धीरज सिंह

जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक तहसीलदार (सवायजपुर) कार्यवाही रजिस्टर देखते हुए।

आर्य प्रतिनिध सभा उ०प्र०, लखनऊ की अन्तरंग सभा की बैठक, दिनांक २३.०७.२०१७ को आर्य समाज सवायजपुर, हरदोई में आहूत की गई, जिसकी सूचना आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ के समस्त पदाधिकारियों प्रतिष्ठित, सहयुक्त अन्तरंग सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों को भेजा गया। संस्था के तत्कालीन प्रधान– श्री देवेन्द्रपाल वर्मा ने उक्त बैठक को रोकने के लिए श्रीमान् डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स के समक्ष सर्वश्री भानुप्रकाश आर्य, शिवपाल सिंह, गायत्री दीक्षित, बीरबल एवं अन्य के द्वारा एक प्रार्थना पात्र प्रस्तुत कराया और डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने पत्र दिनांक १४.०७.२०१७ के द्वारा सवायजपुर की बैठक पर रोक लगा दिया गया था।

डिप्टी रजिस्ट्रार, के उक्त पत्र दिनांक १४.०७.२०१७ के विरूद्ध सभा मन्त्री– स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती एवं डॉ० धीरज सिंह, का०प्रधान/ प्रधान द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखानऊ में योजित रिट याचिका संख्या–१६१२६ (एम०एस०) /२०१७ में पारित आदेश दिनांक २०.०७.२०१७ के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा बैठक पर लगाई गई रोक सम्बन्धी पत्र दिनांक १४.०७.२०१७ को निरस्त कर दिया गया।

> श्री देवेन्द्रपाल वर्मा द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ की अन्तरंग सभा की बैठक पर रोक लगवाने का प्रयास विफल डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा मीटिंग पर लगाई गई रोक सम्बन्धी पत्र माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा निरस्त किया गया।

श्री वर्मा एवं उनके सहयोगियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पूरे प्रदेश भर में बैठक में उपस्थिति होने का प्रयास किया गया। परन्तु प्रयास विफल रहा, बैठक नियमानुसार उपस्थिति पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सम्पन्न हुई। इस बैठक में श्रीमान् जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, तहसीलदार, सवायजपुर की देख–रेख में शान्तिपूर्ण एवं सर्वसम्मति से सम्पन्न हुई। बैठक सम्पन्न होने के बावजूद भी सभी उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों को धमकियाँ दी जा रही हैं, परन्तु इसका भी अब असर नहीं है। इस बैठक में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये हैं।

डॉ. धीरज सिंह
कार्यवाहक प्रधान/संरक्षक

स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती
मंत्री/प्रधान सम्पादक

आर्य मित्र
नारायण स्वामी भवन, ५-मीराबाई मार्ग, लखनऊ दूर/फैक्सः ०५२२-२२८६३२८
का० प्रधान- ०६४१२७४४३४१, मंत्री- ०६८३७४०२१६२, व्यवस्थापक- ६३२०६२२२०५
ई-मेल : apsabhaup86@gmail.com

सेवा में,
....
....

आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० की अन्तरंग सभा सवायजपुर (हरदोई) की झलकियाँ

स्वामी-आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश सम्पादक - मुद्रक -प्रकाशक -श्री स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती, भगवानदीन आर्य भाष्कर प्रेस, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी रूप में शारदा प्रिंटिंग प्रेस, माडल हाउस, लखनऊ से मुद्रित एवं प्रकाशित लेखों में वर्णित भाषा या भाव से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है- सम्पूर्ण विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।

धरोहर....

महात्मा देवस्वामी जी महाराज

स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती
मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा
उ०प्र०, लखनऊ

सामान्य सा कद लम्बी दाढ़ी, लम्बी जटायें, मोटी आँखे और विशालभाल की आभा से प्रभावित अपने ओज एवं तेज से सभी को प्रभावित करने वाले अधोवस्त्र एवं ऊपर वस्त्र या कभी–कभी छोटा से बनियान जैसा कुर्ता पहने वस्त्रों के नाम एक उससे कुछ अधिक नहीं था वाणी गम्भीर एवं मित्रभाषी अपनी ऊहा से जनमानस के हृदय में श्रद्धा पैदा करने की क्षमता लिए अहर्निश गुरूकुल सिरसागंज की प्रगति के लिए चिन्तारम महात्मा देवस्वामी जी महाराज के नाम से विख्यात थे उनका पूर्व नाम आचार्य देवेन्द्र जी था कानपुर जनपद में जन्म लेकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर नायब तहसीलदार के पद पर प्रतिष्ठित हो गए उस जमाने में जब कोई पटवारी भी बन जाता था तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अंग्रेजी राज्य का जमाना था फिर ग्रामीण क्षेत्र में कोई गतजन्म के प्रबल संस्कारों से युक्त विरला ही पढ़ पाता था 'सर्वशिक्षा–अभियान' उन दिनों सरकार से नहीं चलते थे अपने प्रबल पुण्य एवं पुरूषार्थ का ही परिणाम था आचार्य देवेन्द्र जी की इस पद पर नियुक्ति लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी कि यह बालक अपने पूर्वज एवं अपने स्वाभिमान को दासता की तरह व्यतीत करें। संयोग की बात है कि किसी बारात में गए थे वहाँ संस्कार पर उपस्थित लोगों में संस्कार कराने वाले पण्डित से मन्त्रपाठ की अशुद्धि पर इतनी जाने बहस हो गई कि पण्डित ने कुछ दिया '' अरे ठकुरवा! तू क्या जाने संस्कृत कैसे बोली जात है''। यह सुनकर बड़ा अपमान अनुभव किया और मन में संकल्प ही ले लिया कि अब ठाकुर नहीं पंडित बनकर ही दिखाऊँगा महिर्ष स्वामी दयानन्द जी की महान दया कृपा जो जन्मना ठाकुर होकर घर से विरक्त हो रहा है आयु कोई २५–३० वर्ष के लगभग है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है अधिकारी चिन्तित है आखिर क्या बात है जो ठाकुर साहब के नाम से विख्यात युवक ने नौकरी भी छोड़ दी यह कोई सामान्य त्याग नहीं था आज चपरासी की नौकरी के लिए हजारों युवकों की पंक्ति लग जाती है विवाह भी नहीं करूंगा बस संस्कृत का विद्वान बनकर दिखाउंगा और सौभाग्य उदित हो गया स्वामी ब्रह्मानन्द जी दाडी का, जैसे विरजानन्द दण्डी की कुटिया के भाग्य जगे थे वैसे ही आज गुरूकुल एटा में एक ऐसा ही युवक जो तेजस्वी है जिज्ञासु है कुछ कर गुजरने की तमन्ना है मरने मिटने की परवाह नहीं है मात्र अर्जुन धनुर्धर की तरह मात्र चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है संस्कृत का विद्वान बनना है स्वामी जी के चरणों में मस्तक झुकाया आशीर्वाद लिया और अपना परिचय देकर आने का उद्देश्य भी साथ ही कह दिया स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी ने ऊपर से नीचे तक देखकर हाव–भाव देखकर भावुकता में लिया गया निर्णय जानकर उनकी परीक्षा लेनी चाही आपकी आयु के छात्र यहाँ प्रविष्ट नहीं होते मात्र छोटे बच्चे ही लिए जाते है बच्चों को झाड़ू लगाना–गुरुसेवा–पात्र साफ करना आदि कार्य करने होते हैं आप सरकारी अधिकारी की अहंकार वाली गठरी लिए हो यहाँ उल्टे हमें ही आपकी सेवा करनी होगी दूसरे अष्टाध्यायी को पूर्ण कण्ठस्थ करने के बाद ही प्रवेश समझा जायेगा उससे पूर्व पढ़ाई प्रारम्भ नहीं होगी और यह छोटी अवस्था में ही याद हो सकती है अतः आप इस विचार को त्याग दें और अपने पहले कार्य को ही निष्ठा से करें। सुनकर बड़ा धक्का सा लगा लेकिन जैसे स्वामी दयानन्द जी भी युवा थे और पुस्तकों की गठरी को युमनों प्रवाहित करके प्रवेश परीक्षा दी थी ऐसे ही अहंकार की गठरी उतार कर गुरु चरणों में समर्पित हो गए जो भी निमय एवं कार्य होगें वही करूंगा गुरूदेव अब मत ठुकराओं अब मैं ठाकुर नहीं पण्डित ही बनकर आपकी सेवा करूंगा गुरूवार ने आशीर्वाद दिया और आचार्य देवेन्द्र जी गुरूकुल एटा के एक श्रेष्ठ विद्वान तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की तरह यशस्वी विद्वान बन गए और वहीं पर कक्षायें भी पढ़ाने लगे। पूरा जीवन गुरुवर को अर्पित कर चुके थे अतः आगे का अपना कोई सपना नहीं था बस थात तो गुरुवार का आदेश– स्नातक बनने की सूचना आस–पास के जिलों में प्रसिद्ध को प्राप्त हो गई थी और मैनपुरी जिले में सिरसागंज के जंगल में एक गुरूकुल प्रारम्भ हुआ था लेकिन वह किसी जीवनदानी आचार्य की प्रतीक्षा कर रहा था प्रबन्ध समिति के लोग गुरूकुल एटा पहुँचे और गुरूवार ब्रह्मानन्द जी दण्डी से प्रार्थना की कि हमें एक योग्य स्नातक आचार्य चाहिये हमारी स्थिति समभक्त गुरूदेव ने आचार्य देवेन्द्र जी को बुलाकर कहा कि वत्स। मैनें जो कुछ पढ़ाया है उसे अब समाज में जाकर किया क्रिया नियुक्त करो और अपने जैसे ब्रह्मचारी समाज को अर्पित करो बस यही गुरूदक्षिणा है। आचार्य जी ने गुरू आज्ञा शिरोधार्य करके कहा एवमस्तु। स्वामी दयानन्द जी पर तो लौंग थी लेकिन इस विरक्त पर तो लौंग भी न मिली थी लेकिन चलते समय अपनी अश्रुधारा से गुरू चरणों में अश्रुरोती समर्पित कर दिये जिसे स्वीकार कर गुरूदेव भी अपने मोती सम्भाल न सकें और पुष्पों के स्थान पर अश्रुमोतियों की ही वर्षा करते हुए कहा वत्स! अपने उद्देश्य में (विजयीभव) सफलता प्राप्त करो।

आचार्य देवेन्द्र जी गुरूकुल के आचार्य एवं अधिष्ठाता नियुक्त हो गए और गुरुकुल का चहुंमुखी विकास किया इसका इतिहास एक विस्तृत इतिहास है कभी समय मिलने पर उसे पूरा लिखूंगा। क्योंकि में भी गुरूदेव के चरणों में बैठकर २ वर्ष तक पढ़ता रहा। और मेरे ऊपर आचार्यवर का कितना विश्वास एवं स्नेह था उसका वर्णन भी अपेक्षित है गुरूवर अब सन्यासी बनकर आचार्य देवेन्द्र से देव स्वामी जी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे स्वामी जी व्याकरण निरूक्त वेद के प्रकाण्ड अद्वितीय विद्वान थे इनके चरणों में बैठकर वैसे तो हजारों छात्रों ने सौभाग्य प्राप्त किया लेकिन विशेष प्रसिद्धि प्राप्त विद्वानों में आचार्य बलदेव जी कालवा गुरूकुल, स्वामी इन्द्रवेश जी, स्वामी दिव्यानन्द जी योगीराज स्वामी वेदव्रतानन्द जी, आचार्य वेदव्रत जी मीसांसक, आचार्य गणपति जी शास्त्री, श्री महेश जी विघालंकार आचार्य धनश्याम सिंह जी, आचार्य कृष्ण गोपाल जी, आचार्य धर्मेन्द्र जी, आचार्य अनिल कुमार जी, डी० धर्मपाल आचार्य, डा० विश्वपाल आचार्य, व्रतपाल आचार्य, वेदपाल आचार्य, रवीन्द्र रवि ''आत्रेय'' आदि–आदि प्रमुख हैं जो आज भी उनकी यशोगाथा को प्रकाशित कर रहे है। आचार्य देवस्वामी जी के जीवन में एक दिन वह भी आया जब वे अन्याय के मुकाबले बलिदान हो गए कन्या गुरूकुल लोवाकलॉ सोनीपत हरयाणा की स्थापना में भी स्वामी जी का बहुत बड़ा बलिदान था और वर्ष में कुछ समय लगाकर वहाँ बड़ी छात्राओं को भी पढ़ाया करते थे। उनके तख्त के पास एकदिन मैंने एक वाक्य लिखा देखा जो इस प्रकार था–

''हे प्रभो! मुझे इतनी शक्ति दो जो मैं अन्याय का मुकाबला कर सकूँ अन्यथा मुझे मौत के घाट उतार दो ''देवस्वामी।

इस वाक्य में उकने जीवन का सार दिखाई दता है वे पण्डित होकर आचार्य बनकर सन्यासी बनकर भी कितने ओजस्वी थे और कितने बहादुर थे द्रोणाचार्य की साक्षात् मूर्ति थे महात्मादेव स्वामी जी ''द्वाभ्यामेव समर्थोडस्मि शापदपि '' उसी का परिणाम जो हुआ आर्यजगत एक बार स्तब्ध रह गया व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया एक योगी चिरनिद्रा में सो नहीं गया सुला दिया २७ जुलाई १९७७ की रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली मार दी सोते हुए पर हमला–जागते पर हिम्मत नहीं पड़ी–फिर भी महात्मा जी का बलिदान आर्य जगत् के लिए दुःखदायी रहा सभी दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों ने हत्यारों की कड़ी भर्त्सना की और शोकसभा में आचार्य प्रज्ञादेवी की करूणा भरी वाणी सुनकर हिमालय भी रो रहा था महात्मा क्रान्तिकारी नारायण स्वामी जी को भी हिचकी भरकर रोते देखा है आज सारा दृश्य अभी सा लग रहा है उस दिव्य तेजोमय योगीराज महात्मा देव स्वामी जी के हम सभी दुर्भाग्यशाली शिष्य है जो उनसे पूरा आशीर्वाद नहीं ले सकें और उस अज्ञातशत्रु के हत्यारे प्रभु की आज्ञा से सभी प्रभु को प्यारे हो गए फिर भी हमें एक बार सोचना है उनकी तपस्या स्थली पर सही दिशा में कुछ कार्य किया जाये और उनका स्मारक बन्धु उनके बलिदान दिवस पर अपनी श्रद्धांजली समर्पित करते है कि प्रभु उनके अधूरे कार्य को पूरा करने की शक्ति हमें प्रदान करें।

सम्पादकीय.....

जीवन का एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है?

कर्म से हमारे जीवन को पहचान और प्रतिष्ठा मिलती है। हालांकि हमारी वास्तवकि सफलता, पहचान और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि अपने काम से मिलने वाले सुख में हैं, जिस निष्ठा और लगन से हम अपना काम करते हैं, उसी के अनुरूप हमें सुख प्राप्त होता है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं। जरूरी नहीं कि करोड़ों का कारोबार करने वाले व्यवसायी को कारोबार से सुख भी प्राप्त हो रहा हो या फिर दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर को अपने कार्य से सुख न प्राप्त हो रहा हो। सुख की रुपये –पैसे से कोई तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि काम के प्रति हमारी रुचि और लगन से हमें खुशी मिलती है। हमारा कार्य ही सुख का एक बड़ा माध्यम है और अपने काम से मिलने वाला सुख हमारी उपलब्धि है। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कर्म तो कर्म होता है। कर्म का महत्व उसके पीछे छिपे हुए अभिप्राय से होता है। जो कर्म लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है, वह योग बन जाता है।

उसमें से हमारा परिश्रम एक है। हमें अपना काम कुशलतापूर्वक करने की काबलियत देती है, लेकिन यह हमें यह नहीं बताती है कि करना क्या है। कई बार यह स्पष्ट होता है कि क्या करने की जरूरत है, लेकिन कई बार यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि क्याकरने की जरूरत है तो आपका पहला कदम यही पता लगाना होगा कि आपको आखिर करना क्या है? जब आप अपनी कार्य–विधि तय करके उसे प्राप्त करने की योजना बना लेते हैं तब उसे पाने में कर्मशीलता का आपका गुण–आपकी मदद करता है। जो व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और लगन से मेहनत करता है, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर तय करना चाहिए और इसकी प्राप्ति तक उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। उनका प्रेरणा सूत्र यही है कि उठो, तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी तरह महात्मा गाँधी का कथन है कि कुछ भी न करने से बेहतर है कुछ करना।

अपने विचारों को हमेशा मजबूत रखना कभी निराशा में न लाना जब हमारे विचार और संकल्प मजबूत होते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी और डॉ० ए०पी०जी० अब्दुल कलाम जी का आदर्श हमारे बीच प्रस्तुत है हमारे १४वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविन्द जी विषय में लगभग सभी जानते है जो एक दलित परिवार के हैं।

उनके अथाह परिश्रम और कर्मशीलता ही आज उनकी पहचान बनी है हम आर्य मित्र परिवार अपने १४ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देते हैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपको स्वस्थ्य और प्रसन्न रखे आपका पाँच वर्ष का समय हमारे लिए आदर्श बनकर उभरें।

— सम्पादक

पृष्ठ १ का शेष

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अन्तरंग सभा की बैठक में ...

हजार यपये सभा प्रधान जी ने देने की घोषणा की तत्पश्चात् ११ हजार श्री ज्ञानेन्द्र गान्धी जी मुरादाबाद, ११ हजार राजीव जी हरदोई, ११ हजार श्री देवेन्द्र कश्यप जी बरेली, २१ हजार रूपये श्री अजय श्रीवास्वत लखनऊ, ११ हजार प्रदेश में २ प्रचार वाहन बनाने का भी सर्व सम्मति से लोगों ने प्रस्ताव पास किया क्षेत्रीय स्तर पर आर्य समाज के प्रचारकों की नियुक्ति की जायेगी।

सभा मन्त्री जी ने गत कार्यवाही गत आय–व्यय सुनाकर पुष्ट कराया फिर अन्य प्रस्तावों को भी क्रमशः लेते हुए सर्व सम्मति से पास कराया कोई भी सदस्य विरोध में नहीं था बैठक में श्री वीरेन्द्र रत्नम जी मेरठ, श्री विमल कुार जी आर्य हरदोई, श्री क्जिय बहादुर गौड़ बरेली, श्री रुद्रपाल आर्य विजनौर, श्री वेचन सिंह आर्य मिर्जापुर, श्री रमाशंकर आर्य, श्री राजीव रन्जन हरदोई आदि ने बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए श्री डॉ० धीरज सिंह को अपना समर्थक देते हुए भविष्य में आर्य समाज के कार्य को गति देने का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित सभी अंतरंग सदस्यों ने एक मत से डॉ० धीरज सिंह हो शेष कार्यकाल के लिए प्रधान बनाने का प्रस्ताव पास किया। अन्त में विभिन्न प्रस्तावों को सर्व सम्मति से पास कराने पर सभा प्रधान जी ने सभी सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी आस्था–भावना समर्पण देखकर मैं अभिभूत हूँ जो पूर्व प्रधान द्वारा प्रति प्रतिरोध करने पर भी आपने आर्य समाज को महत्व प्रदान किया है पुनः आप सभी का आभारी रहूँगा तथा भविष्य में इसी प्रकार मुझे आत्मीय प्ररेणा एवं उत्साह प्रदान करते रहेगें। बाद में स्वामी जी ने शोक संवेदना एवं शान्ति पाठ कर सभी कार्यवाही को सम्पन्न कर सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया बाद में आर्य समाज शवायज पुर का भी धन्यवाद किया। भोजन व्यवस्था अति सुन्दर रही।

गतांक से आगे .....

सत्यार्थ प्रकाश

अथ चतुर्थ समुल्लासारम्भः

अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधिं वक्ष्यामः

प्रश्न– ये श्लोक प्रमाण नहीं।

उत्तर– क्यों प्रमाण नहीं? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते।

प्रश्न– वाह–वाह! पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते।

उत्तर–वाह जी वाह! क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है? जो तुम ब्रह्मा जी के शलोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते।

प्रश्न– तुम्हारे श्लोक असम्भव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्त्रों क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता।

उत्तर– जो हमारे श्लोक असम्भव हैं तो तुम्हारे भी असम्भव हैं क्योंकि आठ, नौ और दसवें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरूष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं।[६] जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असम्भव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते हो। जग कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे सम्भव और धर्मयुक्त हो सकता है? इसलिए तुम्हारे और हमारे दो–दो श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसे हमने 'ब्रह्मोवाच' करके श्लोक बना लिये हैं। वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं। इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। देखों मनु में–

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्।।मनु०।।

६. उचित समय से न्यून आयु वाले स्त्री पुरूष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरि जी सुश्रुत में निषेध करते हैं–

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते।।१।।
जातो वा न चिरञ्जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः।
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्।।२।।

अर्थ– सोलह वर्ष से न्यून वाली स्त्री में, पच्चीच वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापना करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता।।१।।

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो। इस कारण से अति बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापित न करे।।२।।

ऐसे–ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं।

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवें। तब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं।

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि।
न चैवैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित्।। मनु०।।

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहैं परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध गुण, कर्म, स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है।

प्रश्न– विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहै?

उत्तर– लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता–पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये। क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह हाने में विरोध बहुत कम होता है और सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं। क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और–

क्रमशः अगले अंक में .....

मजहबी आरक्षण के खतरे

डा० वेदप्रताप वैदिक

आंध्र के उच्च न्यायालय ने कमाल कर दिया करेले को नीम पर चढ़ने से रोक दिया। जाति के आधार पर दिये जा रहे आरक्षण से यह देश पहले से ही खोखला हो रहा है, अब मजहब के आधार पर भी आरक्षण दिया जाने लगा था पांच राज्यों में पिछले दिनों चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी। उसे नई तिकड़म सूझी। उसने सोचा कि यदि उसे मुसलमानों के थोकबंद वोट हथियाने है तो वह उनके सामने आरक्षण की गाजर लटका दें। उ०प्र० में इस हथकंडे के सफल होने की आशा सबसे ज्याद थी। दिसम्बर २०११ में केन्द्र सरकार ने घोषणा कर दी कि शिक्षा और सरकारी नौरियों में मुसलमानों को भी ४.५ प्रतिशत आरक्षण दिया जायगा लेकिन मुसलमान जरा भी नहीं फिसले। उन्होंने चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखा दिया। अब आंध्र के उच्च न्यायाल ने दोहरी मार लगा दी कांगेस के सांप्रदायिक आरक्षण को राजनीति और कानून दोनों ने रद्द कर दिया।

अदालत ने सरकार के इस आदेश को चलताऊ बताया उसका कहना है कि सरकारी वकील यह नहीं बता सके कि 'अल्पसंख्यक' का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं? क्या भारत में दूसरे अल्पसंख्यक नहीं हैं? क्या ईसाई, बौद्ध, सिख, यहूदी और पारसी अल्पसंख्यक नहीं हैं? यदि अल्पसंख्या का आधार धर्म या मजहब ही है तो मुसलमानों के मुकाबले ये अन्य धर्मावलंबी तो कहीं ज्यादा बड़े अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इनकी संख्या तो बहुत कम है। हलांकि अदालत ने यह तर्क नहीं किया है लेकिन तर्क का तो यह भी बनता है कि यदि आरक्षण का आधार अल्पसंख्या है तो अल्प संख्यक हैं, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए अैर ज्यादा मिलना चाहिए। पहले मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए। सरकारी आदेश में इसके बारे में कोई संकेत नहीं है यानी अदालत की नजर में यह आदेश जारी करते समय सरकार ने लापरवाही बरती है। अदालत की यह आलोचना जरा नरम है। उसे कहना चाहिए था कि यह आलोचना जरा नरम है। उसे कहना चाहिए था कि सरकार ने लापरवाही नहीं बरती है बल्कि उसे मुसलमानों को मवेशियों का रेवड़ बनाकर बड़ी चतुराई से उनके थोकबंद वोट खींचने की साजिश की थी।

वास्तव में हमारी आदलतों को चाहिए कि वे 'अल्पसंख्यक' कौन है? वही है, जो खुद हार जाय या जिसका उम्मीदवार हार जाय। हर चुनाव में मतदाताओं का एक हिस्सा बहुसंख्यक सिद्ध होता है और दूसरा अल्पसंख्यक! और अल्पसंख्या बदलती रहती है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी अल्पसंख्यक और स्थायी बहुसंख्यक नहीं हो सकता भाषा, धर्म जाति, रंग–रूप में जरूर स्थायी अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक हो सकते हैं लेकिन उनके नाम पर चलने वाली राजनीति क्या शुद्ध राजनीति होती है? वह भ्रष्ट राजनीति हेती है मुसलमानों को आरक्षण का टुकड़ा फेंककर अपने जाल में फसाने के अलावा ४.५ प्रतिशत आरक्षण का मकसद क्या था? यदि सरकार का तर्क यह है कि उसने मुसलमानें को नहीं बल्कि मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, सिर्फ उन्हें आरक्षण दिया है तो यह तर्क भी बड़ा लचर है। इसके विरूद्ध कई तर्क खड़े हो जाते हैं।

सबसे पहला तर्क तो यह है कि आप कैसे तय करेंगे कि मुसलमानों में पिछड़ा कौन है? यह सिर्फ जातियों के आधार पर ही तय करेंगे यानी आप कानूनी तौर पर यह मानेंगे कि इस्लाम में भी जातियाँ होती है। यह इस्लाम के सिद्धांतों के बिल्कुल विरूद्ध हैं। इस्लाम तो इन्सानी बराबरी का धर्म है। इस्लाम पर जातिवाद थोपकर क्या आप उसका हिंदूरकण नहीं कर रहे हैं?

दूसरा, मुसलमानों में जिन जातियों को आप पिछड़ा मान लेंगे वे फायदे में रहेंगी और जिन्हें पिछड़ा नहीं मानेंगे, वे नुकसान में रहेगी। आप धार्मिक आरक्षण के नाम पर अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे लेकिन गरीब मुसलमानों को आपस में लड़वा देंगे। उनमें फूट डलवा देंगे।

तीसरा, यदि आप गरीबी के आधार पर पिछड़पन तय करते हैं तो फिर गरीबों में भी फर्क क्यों डालते हैं? एक गरीब और दूसरे गरीब में फर्क क्या है? क्या गरीब लोग सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों में ही है, क्या दूसरे मजहबों में नहीं है? यह बात जात पर भी लागू होती है। कोई किसी भी जाति का हो, यदि वह गरीब है तो उसे आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसी भी जाति या मजहब के अमीर व शक्तिशाली व्यक्ति को आरक्षण देना सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक अन्याय है।

चौथा, अनके मुस्लिम संगठनों ने मांग की थी आरक्षण देना है तो सभी मुसलमानों को दें ताकि आरक्षित पदों को भरने वाले लोग तो मिल सकें। वरना मोची, ठठेरे, लुहार, कुम्हार, भिश्ती, कसाई जैसे मुसलमान सरकारी आरक्षित पदों को कैसे भरेंगे? उन पदों पर पहुंचने की उनमें न तो इच्छा है, न जरूरत और न न्यूनतम योग्यता! दूसरे शब्दों में यह आरक्षण शुद्ध धोखा सिद्ध होगा।

पाँचवा, यह आरक्षण मुसलमानों को स्वतंत्र रूप से नहीं दिया गया था। यह पिछड़ों के २७ प्रतिशत के कोटे में से काटकर दिया गया था। यानि अब गाँव–गाँव में रहने वाले हिन्दू पिछड़ों और मुस्लिम पिछड़ों में तलवारें खिंचती उनमें वैमनस्य फैलता। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि कांग्रेस ने हिन्दूओं और मुसलमानों, दोनों के वोट खोए। आंध्र की अदालत ने दो–टूक फैसला देकर भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को सबल बनाया है।

छठा, अदालत ने इसी सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि इसका आधार मजहब था। यह कानूनी दृष्टि है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मजहबी आरक्षण आगे जाकर पता नहीं कितने और कैसे–कैसे 'नए पाकिस्तानों' को खड़ा कर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मजहबों के अंदर भी अनेक उप–मजहब होते हैं।

इस फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के बजाय भारत सरकार को चाहिए कि वह मजहब के अलावा जाति के आधार पर दिए जानेवाले आरक्षण पर भी पुनर्विचार करे और यह भी सोचे कि आरक्षण सिर्फ शिक्षा में दिया जाए और नौकरी में बिल्कुल भी नहीं। यदि आरक्षण सिर्फ शिक्षा में दिया जाए तो देश के ८० करोड़ गरीबों की जिन्दगी में नया उजाला पैदा हो जाएगा। वे जो भी पद पायेंगे वह किसी कि कृपा से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से पाएंगे। उनके आरक्षण का आधार उनकी जरूरत होगी, उनकी जाति नहीं। वे लोग अपने पद पर पहुँचकर सिर्फ अपनी जाति नहीं पूरे देश की सेवा करेंगे। भारत सबल बनेगा।

बाहर निकले और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से सारे राष्ट्र को रोशन कर दिया। जातीय गणना होने पर इन लोगों को अपनी जात लिखानी होगी। इनका इससे बड़ा अपमान क्या होगा? देश का सबसे बड़ा विज्ञानकर्मी क्या यह लिखवाएगा कि वह मछुआरा है? क्या यह सत्य होगा? जातीय गणना देश में झूठ का विस्तार करेगी।

जातीय गणना उन सब परिवारों को भी काफी पसोपेश में डाल देगी, जो अंतरजातीय हैं, जिन परिवारों में पिछली दो–तीन पीढ़ियों में अंतरराष्ट्रीय विवाह होते रहे हैं, वे अपनी जात क्या लिखाएंगे? जातीय गणना प्रकारांतर से कहेगी कि इस तरह के विवाह उचित नहीं हैं, क्योंकि वे जातीय मर्यादा को भंग करते हैं। व्यक्ति–स्वात्रंत्र्य पर इससे बड़ा प्रहार क्या होगा? भारत के नागरिकों के जीवन का संचालन भारत के संविधान से नहीं, गांवों की खापों और पंचायतों से होगा, जिनके हाथ स्वतंत्र्यता युवजनों के खून से रंगे हुए हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालयों के अनके निर्णयों में जाति को पिछड़ापन के निर्धारण में सहायक तो माना है लेकिन उसे एक मात् 'प्रणाम नहीं माना है। उच्चतम न्यायालय ने 'मलाईदार परतों' की पोल खोलकर यह सिद्ध कर दिया है कि गरीबी का निर्धारण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। यदि आरक्षण का आधार सिर्फ जाति है तो उसी जाति के कुछ लोगों को 'मलाईदार' कहकर आप जात–बाहर कैसे कर सकते हैं? यदि करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि गरीबी का निर्धारण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हो सकता तो गरीबी के आधार पर ही हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने ताजातरीन निर्णय में दक्षिण भारतीय राज्यों की इस तिकड़म पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि उन्होंने अपने यहां आरक्षण ६९ प्रतिशत तक कर दिया है। न्यायालय ने उन्हें सिर्फ एक साल की मोहलत दी है, यह सिद्ध करने के लिए कि उन्होंने जो बंदरबांट की है, उसका आधार क्या है? जाहिर है कि इस बंदर बांट का जातीय आधार उच्चतम न्यायालय की कूट–परीक्षा के आगे ध्वस्त हुए बिना नहीं रहेगा। जाति की आड़ में गरीबी को दरकिनार करने की साजिश कभी सफल नहीं हो पाएगी।

गरीबी के इस तर्क–संगत आधार को मानने में हमारे राजनीतिक दल बुरी तरह से झिझक रहे हैं। ऐसा नहीं कि वे इस सत्य को नहीं समझते। वे जान–बूझकर मक्खी निगल रहे हैं वे वोट बैंक के गुलाम हैं वे यह मान बैठे हैं कि यदि उन्होंने जातीय गणना का विरोध किया तो उनके वोट कट जायेंगे। उन्हें नुकसान हो जाएगा। वे यह भूल जाते हैं कि जातीय वोट मवेशीवाद के तहत जातिवादी पार्टियों को ही मिलेंगे। उन्हें नहीं मिलेंगे इसके बावजूद उनकी दुकान चलती रह सकती है, क्योंकि देश के बहुसंख्यक लोग जाति नहीं, गुणावगुण के आधार पर वोट करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो केन्द्र में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें कैसे बनतीं? देश में जितनी शिक्षा, संपन्नता और आधुनिकता बढ़ेगी, जाति का शिंकजा ढीला होता चला जाएगा। जाति गरीबी को बढ़ाती है जिस दिन हमारे नेता गरीबी–उन्मूलन का व्रत ले लेंगे, जाति अपने आप नेपथ्य में चली जाएगी सदियों से निर्बल पड़ा भारत अपने आप सबल होने लगेगा।

युवा भारत के सशक्त युवा बने

–सोमेन्द्र सिंह
रिसर्च स्कॉलर दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कालेज में आयोजित सेमिनार ''प्रतिशोध की संस्कृति'' पर जेएनयू के विवादस्पद छात्र को बुलाना और उसके प्रतिरोध में मचे उत्पाद ने अभिव्यक्ति के नाम पर एक नई बहस पैदा कर दी है। आयोजकों को विवादस्पद छात्र को बुलाने के स्थान पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाना चाहिए था। जबकि उमर खालिद प्रतिबन्धित संगठन का सदस्य है। जब संगठन प्रतिबन्धित है, तो उसके सदस्य को किस आधार पर आमन्त्रित किया गया। यह सोचने का विषय है। इस प्रकार तो कोई भी व्यक्ति इण्डियन मुजाहिद्दीन, लश्कर–ए तैयबा, नक्सलवादी, माओवादी संगठनों के सदस्यों को बुलाकर खुलेआम चर्चा कराने लगेगा। उसकी एवज में तर्क प्रस्तुत करेगें कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकारी है। इस प्रकार की मानसिकता का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी इजाजत दी जा सकती है। जब उमर खालिद पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, तो आयोजकों को उसे बुलाने से बचना चाहिए था। कन्हैय्या और उमर खालिद दोनों विचाराधीन दोषी हैं। इनकी विद्वता देखिए ''कन्हैय्या कहता है कि १९८४ के दंगे गुजरात के दंगो से कम है। वही उमर खालिद का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होता है अफजल को दोषी ठहराने वाला। इतनी गंदी एवं देश विरोधी तथा न्यायपालिका विरोधी सोच है इन दोनों की फिर भी उमर खालिद को बुलाया गया।

आयोजक भी उनकी सोच का समर्थन करते हैं। जब प्रतिरोध किया गया तो देश के विरोध में नारे कैसे लगे। आजाद देश में कश्मीर की आजादी एवं बस्तर की आजादी के लिए नारे लगे जो कि किसी भी देशभक्त को बर्दाश्त नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उसकी रक्षा के लिए प्रतिदिन हमारे देश की सेना के भारत अखंड है। ''हस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेगें कश्मीर'' कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जारी... अफजल हम शर्मिन्दा है, तेरे कातिल जिन्दा है.... इस प्रकार के राष्ट्रविरोधी नारे लगाने वालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर छूट नहीं दी जा सकती। अलगाववाद की बात करने वाले पाकिस्तान की भाषा बोलते है। जो भी इनका समर्थन करता है वह भी दोषी है। बोलने की आजादी के नाम पर राष्ट्रद्रोही बयानों एवं नारों को नही सहा जा सकता। संविधान यह भी अधिकार का तर्क देकर इस बात का समर्थन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि संविधान यह भी अधिकार देता है कि ''आप अपने धर्म की रक्षा करें हमारा धर्म, राष्ट्र धर्म है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद १६(१) (ए) के तहत बोलने की आजादी है।

लेकिन अनुच्छेद १६(२) का कहना है कि ''सरकार इसके तहत कानूनी दायरें में रीजनेबल रिजिस्ट्रक्शन लगा सकती है। देश की सम्प्रभुता की रक्षा, देश की निष्ठा की रक्षा, देशहित को बनायें रखने के लिए विदेशी रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और पब्लिक आर्डर बरकरार रखने के लिए कानून का स्तेमाल कर अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा सकती है''। अभिव्यक्ति का ये अर्थ नहीं है कि तुम देश विरोधी नारे लगाओं, उसे तोड़ने की कोशिश करों। विश्वविद्यालय खुले विचारों का प्रवाहमान स्थल है। जहाँ पर तर्क अधारित चर्चा की जाती है। जिससे समाज को कोई नई दिशा मिलें। विशविद्यालयों में चर्चा नहीं होगी तो छात्रों का बौद्धिक विकास कैसे होगा। लेकिन इसकी आड़ में जगह और अनुशासन की गरिमा अपनी जगह है। देश तोड़ने का काम पाकिस्तान करना चाहता है परन्तु हमारे ही बीच के कुछ जयचन्द इस काम को अंजाम देने में लगे हैं। लेकिन उनका स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर युद्ध थोपता रहा है, उसमें हजारों ने अपनी शहादत दी है। उनके कारण ही हम खुले आसमान में साँस ले रहें है। कारगिल शहीद की बेटी और दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर का कथन कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा। भरा में आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक राष्ट्र, राष्ट्र–राज्य और राष्ट्रीय हित की जो लगभग सर्वमान्य अवधारणा है, उसमें गुरमोहर का बयान उसकी परिधि में नहीं आता। इतिहास इस बात का गवाहा है कि ''इस लोकतांत्रिक देश ने विपरीत विचारों का हमेशा ही सम्मान किया है''। यहाँ आस्तिक दर्शनों के साथ नास्तिक दर्शनों को भी मान्यता दी गई हैं। यदि पाकिस्तान ने पिता को नहीं माता तो किसने मारा यह प्रश्न चिन्ह लगता है, उस शहीद की शहादत पर, जो स्वयं उनकी बेटी ने लगाया है। भारत तो शहीदों का हमेशा सम्मान करता था, करता है, और करता रहेगा। गुरमेहर को वो सुविधाएं वापस कर देनी चाहिए जो उसे सरकार ने दी है। इस प्रकार की सहायता केवल शहीदों को ही दी जाती है। अनजाने युद्ध में मारे गये लोगों को नहीं पूरे देश का आक्रोश इन घटनाओं के लिए महज इत्तेफाक नहीं है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, शहादत हमारी रग–रग में रची बसी है। हमारे रोम–रोम में राम है, तथा वाणी पर भारत माता और वंदेमातरम का जयघोष।

गुरमेहर के बारे में जो अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग किया गया वह गलत है। हमारी संस्कृति सम्मान की संस्कृति है अपमान की नहीं ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देतवा'' जहाँ पर नारी का सम्मासन होता है। वहाँ पर देवता निवास करते है। हम उस संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं जो विश्व बन्धुत्व की बात करती है ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' यह सारा संसार एक परिवार है। आपके लिए गंगा बहती हुई नदी हो सकती है, परन्तु वह हमारे लिए गंगा मैय्या है। आपके लिए गाय का पशु हो सकती है, हमारे लिए गऊ माता है। आपके लिए गीता किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए पवित्र गन्थ है। आपके लिए विश्वविद्यालय ईट, रोडी, पत्थर से बनी इमारत हो सकती है, जो राष्ट्र–विरोधी लाभ के लिए उपयोग की जा सकती है, परन्तु हमारे लिए विश्वविद्यालय विद्या का मन्दिर है। जिसमें बैठकर हम राष्ट्र की आराधना और माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। भारत माता की जयघोष करते है। आपके लिए भारत भूखण्ड हो सकता है, हमारे लिए वह भारत माता है। हमारे मन्दिर में कोई माता के विरोध में नारे लगाये उसे तोड़ने की बात करें हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगें। वेदों में स्पष्ट लिखा है ''वयं तुभ्यं बल्हितः स्याम्'' (अथर्व २१.०१.६२)'' हे मातृ भूमि! हम तेरे लिए बलिदान हो'' शत्रुओं के विरोध के लिए कहा है ''व्याघ्रा प्रतीकाऽव वाघस्य शतून् (अथर्व ४.२२.७) ''तुम व्याघ्र के तुल्य शत्रुओं को भगाओ।'' मैं बड़ी ही जिम्मेदारी और बेझिझक तथा बेखौफ होकर लिखना चाहता हूँ कि ''यह देश किसी भी कीमत पर देश तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो इस प्रकार की बात करेगा उसका प्रतिरोध होगा तथा कानूनी दायरे में सजा भी होगी। जिन लोगों को इस देश से परेशानी है वह अपने पसन्द के देश में जा सकते हैं।

सरकार को इस प्रकार की घटनाओं पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा यह मर्ज नासूर बन जायेगा जो कि भविष्य के लिए खतरा है। जांच के नाम पर लम्बी कानूनी प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत हैं। राष्ट्र–विरोधी मामलों में सरकार व पुलिस को तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय इस भूमि को स्वर्ग से बढ़कर मानता है। ''जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी''। सभी को सोचने समझने की शक्ति प्राप्त है सोचिए और समझिए देश हित में अपनी ऊर्जा को लगाइये अन्य कार्यों में नहीं। देश तरक्की में सहयोग करें बाधा उत्पन्न न करें, युवा भारत के सशक्त युवा बनें।

मो० ६४१०८१६७२४

निर्वाचन

1. आर्य समाज हरदोई– प्रधान राजीव रंजन, मंत्री– श्रीमती सीमा मिश्रा कोषाध्यक्ष– सुयश बाजपेयी।

2. आर्य समाज खैरया दतियाना–हापुड़– प्रधान– जितेन्द्र सिंह आर्य मन्त्री– मुलायम सिंह आर्य, कोषाध्यक्ष– जितेन्द्र ढिल्लन आर्य, अधिष्ठाता– आर्यवीर दल शोवीर सिंह आर्य।

3. आर्य समाज बहादुरगढ़– हापुड़ (उ०प्र०)– प्रधान–अमर पाल सिंह आर्य, मन्त्री– महेश कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष–फौजी श्रीपाल आर्य अधिष्ठाता वीर दल– अशोक कुमार आर्य।

4. आर्य समाज आलम नगर–बहादुरगढ़–हापुड़ – प्रधान– मा० पीतम सिंह आर्य, मन्त्री–वीर सिंह आर्य, कोषाध्यक्ष– लोकेश कुमार आर्य, अधिष्ठाता आर्यवीरदल–सतीश आर्य मुकद्दम।

5. आर्य समाज लहड़रा–बहादुरगढ़–हापुड़– प्रधान– सूबेदार रिसाल सिंह, मन्त्री– धर्मेन्द्र कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष– मंगल सिंह आर्य, अधिष्ठाता–आर्यवीरदल सुरेन्द्र सिंह आर्य।

6. आर्य समाज गुरूकुल पूठ–बहादुरगढ़–हापुड़– प्रधान– स्वामी अखिलानन्द सरस्वती, मन्त्री सुधीर कुमार आचार्य, कोषाध्यक्ष– दिनेश कुमार आर्य– अधिष्ठाता आर्यवीरदल–कुलदीप शास्त्री संचालक शाखा– आर्यवीरदल–सन्दीप कुमार शास्त्री–हर्ष देव आर्य।

7. आर्य समाज कृष्णा नगर कीरिटगंज इलाहाबाद–
प्रधान– सन्तोष कुमार शास्त्री, मन्त्री– उमाशंकर।
कोषाध्यक्ष– गोपाल जी।

माँ का त्याग

माँ तेरे ऋण मुझ पर अगणित
जिनसे ना हो सकूँ उऋण मैं।
तेरी सेवा करूँ रात–दिन
चाहे लेकर सात जन्म मैं।।
तुमने सींचा अपने लहू से
मुझे गर्भ में नौ महीने तक
अपना स्तनान कराया
हुआ न खाने लायक जब तक।।
मैं बिस्तर गीला करता जब
रात सर्दियों की होती थीं
मुझे सुलाने के सूखे में,
तू खुद गीले में सोती थी''
जब भी बिगड़ी मेरी तबियत
रात बिता दी जाग जाग कर
गर्मी से मैं ना जग जाऊँ।
पंखा झुलाती रात–रात भर
दूध दही से मुझे खिलाती
खुद खा लेती रूखी सूखी
जब भी खाना कम पड़ जाता
मुझे खिला रह जाती भूखी
जिसका भी अभाव जब होता
स्वयं उसे झेला करती थी
उस अभाव का मानक भी
मुझको ना होने देती थी।।
जल्दी मुझे बड़ा करने को
अच्छे अच्छे भोज खिलाती
बुरी नजर से मुझे बचाने
काला टीका रोज लगाती।।
जब घर से बाहर जाता मैं
देर लौटने में हो जाती
दरबाजे पर राह ताकती
तेरी आँखें पथरा जातीं।।
जितना त्याग किया माँ तुमने
मैं तो कुछ भी ना कर पाया
ऐसा लगता बिन माँ सेवा
मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया।।
अब तू मेरे पास नहीं है
तेरी याद बहुत आती है
जब उठती है हूक हृदय में
अश्रुधार नहीं रुकपाती है।।
यो मैं शिशु था तब बचपन भर
रहा लेटता तेरी गोद में
मैं चाहूँ कि श्वांस लो अन्तिम
तुम सिर रखकर मेरी गोद में।।

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ओं एवं मद्य निषेध सम्मेलन

स्वामी इन्द्रवेश विद्यापीठ–दारानगरगंज जि० बिजनौर के माध्यम से ११ जुलाई २०१७ को स्वामी आर्य वेश जी अध्यक्ष– सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ जिसमें स्वामी ओ३म् वेश जी मुख्य ट्रस्टी ने संयोजन किया एवं अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुदर्शन जी चक्र ने किया। आपने देश की समस्याओं पर ध्यान दिलाया और संगठित न होने पर बक दिया सभा मंत्री स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती ने शराब बन्दी आन्दोलन को प्रदेश में जारी रखने पर दिया और कार्यकर्त्ताओं को उत्साहित किया बहिन यूनम आर्या एवं प्रदेश आर्या ने बेटी शिक्षा के लिए प्रेरणा देते हुए मा० दयानन्द सरस्वती के प्रति आभार व्यक्त किया श्री विरजानन्द जी आर्य राजस्थान में भी विचार प्रस्तुत कि स्वामी आर्य वेश जी ने आर्य जनता को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज की विषम परिस्थितियों में केवल आर्य ससाज ही आपकी रक्षा कर सकता है।

राजनैतिक पार्टी संगठन सम्प्रदाय अखाड़े धर्म गुरू सभी अपने–अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं अतः आर्य समाज की सरण में आओ स्वामी ओमवेश जैसा व्यक्तिव यहाँ जीवन की तपस्या से प्रदान कर रहा क्षेत्र और समाज में नई ऊर्जा और चेतना प्रदान कर रहा है कुलदीप आर्य बिजनौर जैसा आर्य भजनोपदेशक आज आर्य जगत् में दूसरा नहीं है जो राजभवन में भी वेद प्रचार का सामर्थ्य रखता है। अपने शिमला के राजभवन की चर्चा करते हुए कुलदीप आर्य की भूरि–भूरि प्रशंसा की, आर्य समाज के युवा विद्वान् दीक्षेनु आर्य–संसा सिंह आर्य–कल्याण सिंह, भजनों पदेशक रुद्रपाल आर्य उपमन्त्री उ०प्र० स्वामी सूर्य वेश जी आदि–आदि मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। स्वामी ओम वेद जी ने सभी अतिथियों और विद्वानों का धन्यवाद किया। फिर सभी जनता से शराब बन्द करने के लिए प्रतिज्ञा कराकर संकल्प दिलाया। बाद में विद्यालय में आम और दूध की दावत दी गई भव्य कार्यक्रम रहा बाद में विदित हुआ स्वामी ओमवेश जी का जन्म दिन भी था सभी ने मिलकर बधाईयाँ दी एवं सम्मान किया। पूज्य स्वामी जी के जन्म दिवस की बहुत–बहुत शुभकामनायें स्वीकार करें। स्वामी जी की उम्र हो वर्ष कई हजार।

एक वर्ष में भी दिन हो कई हजार।

दिल्ली आर्य प्रतिनिध सभा द्वारा भव्य कार्यक्रम

आर्य विद्या परिषद् के तत्वावधान में आर्य विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को अच्छे संस्कार प्रदान करते हुए उनकी प्रतियोगिताएँ काराई गई उनमें जो सर्वोत्तम रहे उनकी प्रस्तुति ताल कटोरा इण्डोर स्टेडियम् नई दिल्ली में म० धर्मपाल आर्य **(M.D.H)** की अध्यक्षता में में भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सभा मन्त्री विनय आर्य ने संचालन किया तथा आर्य सन्यासियों तथा आर्य विद्वानों ने अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान किया।

पूरी दिल्ली की आर्य जनता ने पूरे उत्साह पूर्वक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० की ओर से सभी अधिकारियों को विशेष रूप से संयोजक श्री सत्यानन्द आर्य जी म० धर्मपाल आर्य जी धर्मपाल आर्य प्रधान जी, सुरेन्द बुद्धि राजा आदि–आदि को बहुत–बहुत बधाई! शुभकामनाओं स्वीकार करें।

धर्मेश्वरानन्द सरस्वती
मन्त्री– आर्य प्रतिनिधि सभा
उ०प्र०, लखनऊ

श्री चन्द्रशेखर आजाद–जिनके सिंह पराक्रम से ही काँपती थी अंग्रेज सरकार

–प्रियवीर हेमाइना

वसूमति वसुन्धरा धरती माता आदिकाल से ही अनेक नररत्नों को अपने गर्भ में रखती चली आयी है, इसीलिए इसी बारे में संस्कृत, साहित्य में लिखा है–

दाने तपसि शैर्ये च विज्ञाने विनये नये।
विस्मयो न हि कर्त्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा।।

दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्यांकि यह वसुन्धरा एक नहीं, अनेक–अनेक रत्नों वाली है।

सन् १६२१ के ये वे ही दिन थे जब पूरे ही देश में अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्ध एक लहर सी दौड़ रही थी। देश की तरूणाई थी लुटेरे जालिम अंग्रेजों को सात समुद्र पार खदेड़कर स्वाधीन होने के लिए मचल रही थी।

बनारस के गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज पर भी कुछ देशभक्त युवक जब धरना दे रहे थे, उनको–गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं में से एक छोटे– से बालक को नारे लगाते देख, पुलिस वालों का खून खौल उठा। एक पुलिस वाले ने तो तमाचा मारते हुए उसे हथकड़ी भी पहना दी। पुलिस उसे घसीटती हुई कोट ले गई। आखिर उसे कोर्ट में अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया और उसे कोड़ों की भयंकर सजा दी।

कोड़े खाकर उसी समय अहिंसा का वह वीर पुजारी आग का गोला बनकर धधक उठा। उसने वहीं भरी अदालत में यह प्रतिज्ञा भी की कि जब तक ईंट का जबाब पत्थर से नहीं दूंगा तब तक कभी चैन से नहीं बैठूंगा।

तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारा निवास स्थान कहां है? ये तीन प्रश्न भी उसी चौदह वर्षीय बालक से बड़े ही रोबीले स्वर में जब मजिस्ट्रेट ने पूछे तो उसे उत्तर में कहा वह यही कहा –अदालत सुनें और कान खोलकर सुनें– मेरा नाम है आजाद!, आजाद!!, आजाद!!! मेरे पिताश्री का नाम है– स्वाधीन!, स्वाधीन!!, स्वाधीन!!! और मेरा निवास स्थान है जेलखाना! या कहना चाहिए कारागार! कारागार!!, कारागार!!!।

उस अल्पायु बालक के इन उत्तरों को ज्यों ही सुना अदालत ने दाँतों तले अँगुली ही दबा ली, फिर वह धधक भी उठी और जल–जलकर भसम ही होने को थी कि उसने आज्ञा दी इस दीवाने को पन्द्रह बेंत और लगाई जायें। पर इससे भी वह यज्ञोपवीतधारी देशभक्त दीवाना भला कहां डरने वाला था? उसी समय देखते ही देखते कोमल शरीर परतड़ातड बेंत पड़ने लगे, पर उस बालक के मुख से आह तक भी न निकली। वह वीर धीर बालक तो प्रत्येक ही बेंत के आघात पर बस यही उद्घोष करता रहा– ''वन्दे मातरम्!''भारत माता की जय''। ''भारतमाता की जय!!' उस वीर–धीर बालक का नाम था 'चन्द्रशेखर'। इसी लोमहर्षक अति भयंकर घटना के बाद तो बालक का वही नाम जो उसने अदालत को बताया था, उपनाम उसका बना और कालांतर में यही 'आजाद' उपनाम, सुनाम बनकर सदा–सदा के लिए अमर हो गया।

उन १५ बेंतों के प्रत्येक ही आघात ने चन्द्रशेखर के बालहृदय को अंग्रेजों के प्रति घृणा से ही भर दिया था। बालक चन्द्रशेखर विदेशी अत्याचारी अंग्रेजों के साम्राज्य को देश से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पना ही कर बैठा था। दिन रात वह यही सोचा करता था कि कैसे इन अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ जाये।

फरार होकर आजाद उस बम पार्टी में सम्मिलित हो गये जो देश को स्वतन्त्र कराने के लिए भारत में उस समय अच्छी तरह से काम कर रही थी, जो दशे से अंग्रेजी शासन को सशस्त्र क्रांन्ति के बल पर उखाड़ फेंकना चाहती थी। रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खाँ, सचीन्द्रनाथ सान्याल, जैसे नौजवान इसी दल के ही सदस्य थे जो सिर से कफन बाँधकर अंग्रेजी सरकार को निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। यह दल वही था जो बमों, पिस्तौलों और बन्दूकों से पराधीनता के जुए को उतार फेंकना चाहता था। सशस्त्र क्रान्ति के आयोजन के लिए दल को भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी ही। उस समय के पूँजीपति जितने भी थे, वे सब ही हृदय से अंग्रेजों के ही भक्त थे, इसीलिए क्रान्तिकारियों को उनसे धन प्राप्त करने का मार्ग ही अपनाना पड़ा। क्रान्तिकारियों ने शाहजहाँपुर के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन रोककर सरकारी खजाने को ज्यों ही लूटा, अंग्रेजी सरकार दहल गयी–भय से काँप उठी।

अंग्रेजी सरकार ने इस ऐतिहासिक ट्रेन डकैती काण्ड के प्रायः सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया था, किन्तु चन्द्रशेखर आजाद हाथ ही न आ सके थे, क्योंकि उनकी तो प्रतिज्ञा ही यह थी ''फिरंगी मुझे जिन्दा न पकड़ सकेंगे।''

सन् १६२६ में वाइसराय की गाड़ी पर बम फेंकन की योजना में भी आजाद की भूमिका प्रधान रूप में थी। इतना ही नहीं, असेम्बली भवन में बम फेंकने की योजना भी आजाद द्वारा ही रची गयी थी। भगत सिंह और सुखदेव को जेल से छुड़ाने की योजना भी आजाद ने रची थी परन्तु देश का दुर्भाग्य या अंग्रेजों का सौभाग्य कहिए असमय में ही वह योजना असफल हो गई। इसके बाद तो फिर जो होना था वही हुआ ही। जब दीपक ही घर को फूँकने लगे कैसे किस्मत फूट न जाये। दल के ही कुछ कायरों के कारण रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला जैसों को फाँसी पर चढ़ना पड़ा। देश के वे दीवाने हँसते–हँसते ही फाँसी के झूलों पर झूल गये। बिस्मिल और अशफाक के बाद, सुखदेव, भगतसिंह और राजगुरू भी २३ मार्च १६३१ को फांसी पर चढ़ गये। सतलुज की लहरों में आज भी उनकी चिता की राख गरम है। और भविष्य में वह राख कभी ठंडी पड़ जायेगी, यह भला कैसे संभव है। स्वतंत्र भारत के आकाश में इन शहीदों के रक्त की ही लाली है। ७ अक्टूबर १६३० को जिस दिन भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरू को फांसी की सजा सुनाई गई, उस दिन आजाद बहुत ही क्षुब्ध हो उठे थे।

आजाद सन् १६३० के अन्त में कानपुर को छोड़कर इलाहाबाद चले गये। इलाहाबाद में ही एक दिन सुबह जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू आनन्द भवन के अपने कमरे में लेटे हुए थे, सहसा ही उनके कक्ष का द्वार खुला। जवाहर लाल ने देखा कि एक हष्ट–पुष्ट तेजस्वी नौजवान सामने खड़ा है।

उस युवक ने गम्भीरता से कहा– ''मेरा नाम चन्द्रशेखर आजाद है मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, वह देश की आजादी के लिए ही किया है। मैंने उनका ही खून बहाया है जो भारत की स्वतन्त्रता के शत्रु थे। इस समय मैं पुलिस से चारों ओर से घिरा हुआ हूँ, पुलिस मेरे पीछे बुरी तरह से हाथ धोकर पड़ी हुई है, आप बताएँ कि मैं क्या करूं?

जवाहर लाल युवक का मुंह देखते ही रहे, वे उसे कुछ उत्तर ही न दे सके। आजाद पांच मिनट तक उत्तर की प्रतीक्षा भी करते रहे पर जब कोई उत्तर ही न मिला, दरवाजे से बाहर निकल आये और उसके दो घण्टे बाद ही जवाहरलाल ने सुना कि चन्द्रशेखर आजाद अब इस दुनियां में नहीं है। अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये।

हाय, हा हन्त! २७ फरवरी सन् १६३१ का वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन! जब दस बजे प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में माँ भारतीय का वह सपूत वीर आजाद पुलिस से चारों ही तरफ से घिर गया। आजाद राम नाम का तहमद बांधे नंगे बदन थे ही और उनकी कटि में पिस्तौल भी बंधा हुआ था ही। जब असंख्य अनगिनत पुलिस उनके सामने बन्दूक और पिस्तौल तान कर गोलियां चलाने लगी तो आजाद ने भी अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और एक पेड़ की आड़ लेकर गोलियों के जबाब में गोलियां चलाने लगे। उकने माउजर पिस्तौल में केवल बारह गोलियां ही उस समय थी, पर उनकी एक–एक गोली का निशाना इतना सही था कि यदि पुलिस पेड़ों की आड़ में न होती तो आजाद की बारह गोलियों से सैकड़ों की पंक्ति में मौत के घाट वहां उतर जाती।

पर जब आजाद की पिस्तौल में केवल एक ही गोली रह गई तो उन्होंने कहा आजाद आजाद है वह अंग्रेजों की गोली से नहीं, अपनी ही गोली से मरेगा, और फिर अपने मस्तष्क में अपनी ही गोली मारकर भारतमाता का वह सपूत चिर निद्रा में सो गया।

आजाद भारत में सब कुछ है पर आज भी भारतमाता की आंखें गीली ही हैं। वह अल्फ्रेड पार्क के फूलों में आज भी अपने आजाद को ढूंढ रही है। न जानें कब मां भारतीय का वह वीर सपूत चिर निद्रा से जागेगा?

आजाद देश में आजाद जैसे शहीदों के ईंट और पत्थरों के ताजमहल चाहे न हों पर इतिहास का यह अमर शहीद, जिसके नाम से ही तत्कालीन सरकार कांपती थी, अपने वीरतापूर्ण कार्यों से युग–युग में अमर रहेगा ही।

''कीर्तिर्यस्य सः जीवति'' जिसका यश अमर है वह सदा जीवित रहता है। वीर ही नहीं, विप्रवीर आजाद इसीलिए भी सदा जीवित रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पराक्रमी अनुपम जीवन से अथर्ववेद के इस मंत्र को भी व्यावहारिकता के धरातल पर पूर्ण रूप से सार्थक कर दिखाया–

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः।।

अथर्व १२.१.५४

राष्ट्र–भूमि पर मैं साहसी हूँ, भूमि पर मैं उत्कृष्ट भी हूँ। दुश्मन से मुकाबला पड़ने पर उसके छक्के छुड़ा देनेवाला भी हूँ। मुझमें सब ही शत्रुओं को परास्त कर डालने की असीम शक्ति है–प्रत्येक दिशा में।

अन्त में आकर यहीं यह भी तो सोचने का विषय है कि जैसी वीरता इस वेदमंत्र में वर्णित है वैसी ही वीरता उस आजाद के व्यक्तित्व में थी। पर भी भी क्यों? उनमें ऐसी ही वीरता इसलिए थी क्योंकि वे भारत की उसी बलिदानी मिट्टी में तो उत्पन्न हुए थे जिसने विदेशी विधर्मी मुगल साम्राज्य से लोह लेनेवाले राणाप्रताप शिवाजी, वन्दा बैरागी और गुरू गोविन्दसिंह जैसे वीरों को उत्पन्न किया था। भारत की मिट्टी का गण–कण ऐसे ही वीरों के चरणों की पावन रज से आज भी अपने आप को केवल पावन पुनीत ही नहीं अपितु धन्य भी मानता है। श्री चन्द्रशेखर आजाद भी ऐसे ही वीरों की श्रेणी में आने वाले अनुपम ओजस्वी वीर थे। भारत की वीर परम्परा में वे एक नया ही अध्याय लिखकर गये जो स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में मजबूती से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आजाद ने अपने चमते हुए खून से जो वीरता का नया अध्याय स्वाधीनता संघर्ष में लिखा देश उस पर सदा ही अभिमान करेगा। नमन, बहुसंख्य नमन उस वीरात्मा आजाद को! जो जीते–जी फिरंगियों के हाथ न आया! नमन उस वीर माता जगरानी देवी को भी जिसने चन्द्रशेखर आजाद जैसी वीर सन्तान उत्पन्न करके राष्ट्र को समर्पित की। वह परलोकवासी माता आज भी अपने चन्द्रशेखर की वीरता को याद करके अवश्य कहीं प्रसन्न हो रही होगी, क्योंकि –

सुतविक्रमे सति न नन्दति का खलु वीरसूः।
(कुमार ०.१२.५६)

वीर सन्तान उत्पन्न करने वाली माता अपने बेटे की बहादुरी देखकर प्रसन्न होती ही है।

मो० ७५०३०७०६७४